

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकोनर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/18894/सॉफ्टवेयर निर्माण/15-16/154 दिनांक:- 28.5.15

उप निदेशक(समस्त)

प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

जिला शिक्षा अधिकारी(समस्त)


प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

विषय:-दिनांक 13.05.2015 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC) की बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 13.05.2015 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में लिये निर्णयों के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

1. सत्र 2014-15 की प्रथम किस्त तथा सत्र 2013-14 की प्रथम व द्वितीय किस्त के पुनर्भरण से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों के लंबित समस्त कार्यों को पूरा करने तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आवंटित बजट से पुनर्भरण करने का एक अंतिम अवसर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु अंतिम दिनांक 31.07.2015 निर्धारित की गई है। अतः निर्धारित दिनांक तक आरटीई पोर्टल पर गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ कार्यालयों/जि.शि.अ प्राशि/जि.शि.अ माशि कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण संबंधी कार्य समस्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् भी निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालक के संबंध में कोई विद्यालय पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित गैर सरकारी विद्यालय/बीईईओ/डीईओ प्राशिक्षा/डीईओ माशिक्षा का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।
2. प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ऐसे विद्यालय का पुनः सत्यापन कराया जाए जिसमें निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की संख्या अधिक होते हुए भी विद्यालय ने सत्यापन रिपोर्ट वेब पोर्टल पर प्रविष्ट नहीं की अथवा क्लेम बिल कार्यालय में जमा नहीं करवाया। इस पुनः सत्यापन में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों का पुनः सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों द्वारा कराया जाए। इस कार्य हेतु अंतिम दिनांक 31.07.2015 निर्धारित की गई है। अतः निर्धारित दिनांक तक संबंधित जि.शि.अ प्राशि/जि.शि.अ माशि कार्यालयों द्वारा सत्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. शैक्षिक सत्र 2012-13 में प्रवेशित एवं सत्यापित ऐसे बालक जिनका पुनर्भरण राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 अथवा 2014-15 में किया गया है ऐसे बालकों के संबंध में सूचना आरटीई पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा सूचना अपलोड करवाने हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल जयपुर स्थित केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम के ई-मेल आईडी [rteccrhelp@gmail.com](mailto:rteccrhelp@gmail.com) तथा अनुशंषायुक्त पत्र की मूल प्रति राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित करें। इस कार्य हेतु अंतिम दिनांक 31.07.2015 निर्धारित की गई है। अतः निर्धारित दिनांक तक संबंधित जि.शि.अ प्राशि कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर उक्त बालकों की सूचना अपलोड करवाने संबंधी कार्य निर्धारित समयावधि में करवाया जाना सुनिश्चित करें। सत्र 2013-14 तथा 2014-15 की फीस के शेष पुनर्भरण को वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।


4. 1 अप्रैल 2010 से पूर्व मान्यता प्राप्त एवं संचालित गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लेखित विद्यालय के लिए मान एवं मानकों की पूर्ति की स्थिति में प्ररूप 2 में जारी प्रमाण पत्रों के संबंध में निदेशालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18882/पुनर्भरण/14-15/284 दिनांक 24.04.2015 के द्वारा दिनांक 30.04.2015 तक निर्धारित प्रारूप में सूचना चाही गई थी, जो आदिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में राज्य सरकार ने प्राथमिकता से लिया गया है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना दिनांक 04.06.2015 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रेषित करें अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आपके नियंत्रणाधीन ऐसे कोई गैर सरकारी विद्यालय शेष नहीं है।
5. आपके जिले में अब तक सत्र 2013-14 की प्रथम व द्वितीय किस्त एवं 2014-15 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि के भुगतान से गैर सरकारी विद्यालयों के ऋचित रहने के संबंध में आपके कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित रिपोर्ट निदेशालय को दिनांक 15 जून, 2015 तक प्रेषित करें।

  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पालनार्थ सूचित कराने का श्रम करावें।



उप निदेशक(आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर